

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

प.स.8(8)त.शि./2005

जयपुर, दिनांक 18.3.16

आदेश

ई. गौड़ से
प्राप्त / प्रेषित
दिनांक 18/3/16

राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा (गैर अभियांत्रिकी) नियम 2010 के नियम 27 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पंद्रह वर्ष 2011-12 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | श्रीमती मधु गोयल, विभागाध्यक्ष, सीडीडीएम | - सामान्य |
| 2 | श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी, विभागाध्यक्ष, कामर्शियल आर्ट | - सामान्य |
| 3 | श्रीमती नीना स्वरूप, विभागाध्यक्ष, कामर्शियल आर्ट | - सामान्य |
| 4 | श्रीमती संगीता सक्सेना, विभागाध्यक्ष, टेक्सटाईल डिजाईन | - सामान्य |

यह आदेश अपील संख्या 100/2013 श्रीमती शालीनी गुप्ता बनाम राज्य के प्रकरण में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2013 की पालना में अपील के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। उपरोक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
18/3/2016
(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय त.शि.
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव त.शि.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, जोधपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. रक्षित पत्रावली

अब्दुल रजाक
(अब्दुल रजाक)
अनुभागाधिकारी त.शि.